

<p>भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी विंग, गांधीनगर ई-मेल: gandhinagar.ibm@gmail.com</p>		<p>GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES INDIAN BUREAU OF MINES Office of Regional Controller of Mines Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, Sector-10A, Gandhinagar-382010, Gujarat</p>
--	--	---

मिसिल सं. गुज/जाम/बॉक्स.- 101

पंजीकृत पत्र

उल्लंघन पत्र

दिनांक : 11.09.2018

सेवा में : M/s. Carborandum Universal Limited.
Station Road Post-Bhatia,
Dist- Devbhumi Dwarka, Gujarat-361315

विषय: गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले के ग्राम मेवासा में स्थित आपकी मेवासा बॉक्साइट खान, सर्वे नंबर-205/P, क्षेत्रफल 8.09 हेक्टर में खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन (Mine Code-07GUJ07089).

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 25/07/2018 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया |

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
Rule 11(1)	<p><i>No holder of a mining lease shall commence or carry out mining operations in any area except in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines</i></p> <p>In Para 5.1(b), During the year 2015-16 production of Bauxite was proposed at the tune of 20,313 MT whereas during this year total 64,600 MT of Bauxite production carried out which is on higher side and clearly indicating deviation thereof.</p>
Rule 26(2)	<p><i>The holder of mining lease shall submit a yearly report as per the format specified before 1st July of every year setting forth the extent of protective and rehabilitative work carried out as envisaged in the approved mine closure plan, and if there is any deviation, reason thereof</i></p> <p>But in your case, the aforesaid Report in prescribe Form not submitted to the Regional Controller of Mine, Gandhinagar.</p>
Rule 28(1)	<p><i>The holder of the mining lease shall send a notice in Form-E when the mining operations in the mine or part thereof are discontinued for a period exceeding 90 days so as to reach at concerned offices within 120 days</i></p> <p>But in your case, the aforesaid notice in prescribe Form-E not submitted to the Regional Controller of Mine, Gandhinagar.</p>
Rule 32(1)(a)	<p>Surface Plan of the mining lease area is not prepared as per the guidelines and wrong representation in respect of backfilled area has been shown over the surface plan.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है की उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इन नियमों के उल्लंघन की अनुपलना नहीं होने पर खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है / आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है और/या राज्य सरकार से खदान की सारी संक्रियाएं बंद करने और/या आपके विरुद्ध अभियोग दायर करने की सिफारिश की जा सकती है |

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे

भवदीय,

(संजय गिरहे)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रति सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।
2. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन विभाग, ब्लॉक-1, 7वा माला, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुज.)
3. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो